

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म०प्र०)

// निविदा विज्ञप्ति //

जिला न्यायालय परिसर, कटनी में केन्टीन एवं वाहन स्टेण्ड के संचालन के लिये वार्षिक अनुबंध हेतु निविदा सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से 200-200/-रूपये देकर जिला नाजिर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 12.05.23 को सायं 05.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किये जावेगी तथा निविदा दिनांक 13.05.23 को सायं 05.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी/शर्तें माननीय उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in तथा जिला न्यायालय कटनी के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है।



(धरमिन्दर सिंह राठौड)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कटनी (म०प्र०)

केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

कार्यालय की सील
रसीद नंबर

--:: निविदा फार्म ::--

प्रथम पक्ष :-

निविदाकर्ता

का नाम

पता

मोबा. नं.

किस स्थान पर केंटीन का
संचालन करना चाहते हैं।

कटनी

द्वितीय पक्ष :-

जिला रजिस्ट्रार,

कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

॥ निर्धारित शर्तें ॥

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक **12.05.2023** के सायंकाल 05.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क कटनी स्थित केंटीन हेतु रुपये 8,000/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु $8,000 \times 12 = 96,000/-$ रुपये में से 48,000/- रुपये की राशि 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे और 48,600/- रुपये की राशि अनुबंध प्रारंभ होने के तीन माह उपरान्त अदा करें।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध अनुसार केंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार तहसील कटनी स्थित केंटीन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। केंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

4. केंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटायी नहीं जावेगी।
5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के संयुक्त नाम की बैंक एफ0डी0 के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. केंटीन के संचालन हेतु आंमत्रित 12 माह की निविदा समयावधि हेतु न्यूनतम राशि 3,00,000/- रुपये (अंकन -तीन लाख रुपये) से कम की राशि मान्य नहीं होगी।
8. प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि रुपये..... अक्षरी ` की अधिकतम बोली प्रस्तावित की जाती है।
9. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
10. अधिकतम बोली की प्रस्तावित की गई राशि अनंतिम होने की स्थिति में केंटीन संचालन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करना होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।
11. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
12. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
13. केंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार विवाद होने पर, विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेंगी।
15. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा एवं विधि द्वारा प्रतिषेधित उत्पाद केंटीन में विक्रय नहीं करे

- और न ही किसी अन्य को कैंटीन परिसर में उसके उपयोग की अनुमति देगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु कैंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
 17. समय समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 18. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में एवं समय समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर कैंटीन का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।
 19. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/ संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।
 20. निविदाकर्ता कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
 21. निविदाकर्ता कैंटीन का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।
 22. निविदाकर्ता कैंटीन का विधि अनुसार नगर पालिक निगम में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के "करों" का भुगतान करेगा।
 23. क्रमांक 15, 16 एवं 17 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
 24. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जावेगी तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को (ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस) प्रतिशत कम मूल्य पर खाद्य सामग्री विक्रय करेगा।
 25. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
 26. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस एक सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
 27. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रूपये 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
 28. कैंटीन के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

29. भवन के नक्शे में उल्लेखित 'अ' स्थान का भाग कैंटीन संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व कैंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लें।
30. कैंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8.00 बजे से सायंकाल 06.30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
31. अनुबंध अवधि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक-2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
32. सफल निविदाकर्ता द्वारा 'कैंटीन परिसर' स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्नीशिंग आदि कार्य समय-समय पर किया जावेगा।
33. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।
34. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
35. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
36. कार्यालय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
37. सफल निविदाकर्ता प्रत्येक तीन माह में कैंटीन ऐरिया में रंग-रोगन करेंगे।

निविदाएं दिनांक **13.05.2023** को सायंकाल 05:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)


- संलग्न- 1- कैंटीन संचालन हेतु दर की सूची ।
2- कैंटीन नक्शा ।



(श्रीमति निधि जैन)

.सदस्य


.कैंटीन समिति कटनी एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
कटनी (म0प्र0)



(श्रीमति राजेंद्र चव्हाण)

.सदस्य

.कैंटीन समिति कटनी एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
कटनी (म0प्र0)



(श्रीमति सिद्धि मिश्रा)

.अध्यक्ष

.कैंटीन समिति कटनी एवं
जिला न्यायाधीश(म0प्र0)

कैंटीन संचालन हेतु दर

क्र०	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा / मापदान	कीमत	टिप्पणियाँ
01	चाय	प्रति कप 50 मिली	5 रुपये	
02	काफी	प्रति कप 50 मिली	10 रुपये	
03	आलूबुडा	प्रति भाग 50 ग्राम	5 रुपये	
04	सनोसा एवं भाजीबुडा	प्रति भाग 50 ग्राम	5 रुपये	
05	कचोरी	प्रति भाग 50 ग्राम	10 रुपये	
06	इडली / साभर / दहीबुडा	प्रति भाग वजन 60 ग्राम 2 इडली प्रति भाग वजन 50 ग्राम, 2 बुडा	20 रुपये	
07	पाहा	प्रति प्लेट 100 ग्राम	10 रुपये	
08	भजिया / मगौडी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रुपये	
09	जलेबी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रुपये	
10	गालूशाही / गुलाब जामुन	प्रति भाग 30 ग्राम	10 रुपये	
11	लड्डू (बूटी व मगज)	प्रति भाग 60 ग्राम	7 रुपये	
12	दोपहर का भोजन 1 सब्जी एक 2 दाल 3 दूध 4 सटी चर	प्रति थाली कुल वजन 400 ग्राम लगभग	50 रुपये	
13	सब्जी एक 6 पूड़ी	प्रति पैकेट 200 ग्राम	25 रुपये	
14	तरसी	प्रति गिलास 200 मिली	20 रुपये	
15	रसगुल्ला	30 ग्राम	10 रुपये	
16	दूदी	80 ग्राम	10 रुपये	
17	रसगुल्ला	प्रति भाग 80 ग्राम	10 रुपये	
18	छाछ	प्रति गिलास 200 मिली	10 रुपये	
19	पानी बॉटल	एक लीटर	प्रिन्ट रेट	
20	खोवा जलेबी	प्रति भाग 80 ग्राम	10 रुपये	

उक्त सामग्रियों के अलावा प्रथम पक्ष/कैंटीन संचालक कैंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय-पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से कीमत निर्धारित की गई है उसे वह निर्धारित दर पर विक्रय कर सकेगा।

प्रथम पक्ष अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख उक्त सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य सामग्री का मूल्य जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा निर्धारित क्रिय जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।

(श्रीमति निधि जैन)

सदस्य

कैंटीन समिति कटनी एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
कटनी (M090)

(श्रीमति रंजना चतुर्वेदी)

सदस्य

कैंटीन समिति कटनी एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
कटनी (M090)

(श्रीमति सिद्धि मिश्रा)

अध्यक्ष

कैंटीन समिति कटनी एवं
जिला न्यायाधीश (M090)

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

:- निविदा फार्म :-

निविदा प्रपत्र क्र.....

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता
का नाम -
पता -
मोबा. नं. -

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)

—00—

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित आने जाने वाले वाहनों के लिये स्थानक स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अध्ययाधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

// निर्धारित शर्तें //

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक- **12.05.2023** के **शाम 05.00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क **5000/- रुपये** प्रतिमाह निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु $5,000 \times 12 = 60,000/-$ रुपये में से **30,000/-** रुपये की राशि 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे और **30,000/-** रुपये की राशि अनुबंध प्रारंभ होने के तीन माह उपरान्त अदा करें।
3. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टेण्ड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनो पक्षों के मध्य अनुबंध संपादित किया जावेगा। वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अनंतिम बोली की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा संपूर्ण राशि जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लेखित अनुक्रमांक 2 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी।
4. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ **50,000/- (पचास हजार)** की अमानत राशि जिला न्यायाधीश कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी.आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।
5. सफल निविदाकर्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु आमंत्रित 12 माह की निविदा समयावधि हेतु न्यूनतम राशि **1,75,000/- रुपये (अंकन - एक लाख पचहत्तर हजार रुपये)** से कम की राशि मान्य नहीं होगी।
6. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु एक वर्ष के लिये राशि अक्षरी की **अधिकतम बोली** प्रस्तावित की जाती है।

7. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध करने की दिनांक को या उससे पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा।
8. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टेण्ड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
9. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
10. वाहन स्टेण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
12. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
13. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु साईकिल स्टेण्ड परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साईकिल स्टेण्ड परिसर में कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर वाहन स्टेण्ड का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
14. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा साईकिल स्टेण्ड परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टेण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।
16. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड का संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्ण में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत की कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।
17. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड तथा आस-पास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण की क्यों न हो, नहीं करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस 100/- की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
18. प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा, जिससे पक्षकारों तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक व अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग न तो स्वयं करेगा न अन्य को करने देगा।
19. सामान्यतः प्रथम पक्ष दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा :-

1. सायकल	-	2/- प्रतिदिन अथवा 50/- मासिक
2. दोपहिया वाहन	-	10/- प्रतिदिन अथवा 200/- मासिक
3. चार पहिया वाहन एवं अन्य	-	15/- प्रतिदिन अथवा 300/- मासिक

किन्तु न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्थानक पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

किन्तु यह भी कि प्रथम पक्ष अधिवक्तागण के वाहन से लिये जाने वाले शुल्क की दर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर, जिला न्यायाधीश द्वारा शुल्क निर्धारित किया जायेगा और उस अनुसार पार्किंग शुल्क अधिवक्तागण के द्वारा देया होगा।

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सहजदृश्य भागों पर लोक प्रदर्शित करना होगा।


20. प्रथम पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। साथ ही वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का ही रहेगा।
21. प्रथम पक्ष वाहन स्थानक के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचानपत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।
22. निविदाकर्ता आवश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
23. स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
24. न्यायालय परिसर स्थित पूर्ण स्टैण्ड परिसर यथावत स्थिति में उपलब्ध कराया जायेगा।
25. वाहन स्टैण्ड जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सायंकाल 7:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
26. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।
27. सफल निविदाकर्ता द्वार निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
29. कार्यालय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
30. सफल निविदाकर्ता स्वयं के व्यय पर न्यायालय के मुख्य गेट में चलायमान अस्थायी बेरीकेट का स्थापित करेगा।

निविदाएं दिनांक **13.05.2023** के **शाम 05:00 बजे** उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)


श्री मुदित लठौरिया
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कटनी
सदस्य, यातायात प्रबंधन समिति
जिला न्यायालय कटनी


श्री विकास चौहान
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कटनी
अध्यक्ष, यातायात प्रबंधन समिति,
जिला न्यायालय कटनी